

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक :- एफ 8(1)7/मूल्य/डीईएस/2016/416

दिनांक :- 4 जुलाई, 2019


उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय,
जिला - समस्त

विषय:- पी.एस.आर. पोर्टल पर दर्ज किये जा रहे भावों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि मूल्य सांख्यिकी हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से तैयार करवाये जा रहे विभागीय पोर्टल पी.एस.आर. (Price Statistics in Rajasthan, URL- psr.raj.nic.in) पर आपके द्वारा विभिन्न मूल्य समूहों के अन्तर्गत साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर मूल्यों का संकलन कर नियमित रूप से अपलोडिंग किये जा रहे हैं।

पोर्टल पर दर्ज भावों में विचलन का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु प्रत्येक उद्धरण (मद) की प्रविष्टि के साथ रिमार्क डालने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका उपयोग मूल्य संकलनकर्ता द्वारा दर्ज किये जा रहे भावों में यदि पूर्व में दर्ज भाव से 5 प्रतिशत या इससे अधिक की कमी/वृद्धि हो तो उचित कारण देकर उक्त मद के भावों में आये परिवर्तन की पुष्टि की जाती है। निदेशालय स्तर से उक्त दर्ज भावों की समीक्षा किये जाने पर प्रायः यह पाया गया है कि उक्त रिमार्क कॉलम में भावों में व्याप्त उच्चावचन का उचित कारण नहीं दिया जाकर तर्कहीन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। जिसे उच्चस्तर पर गम्भीरता से लिया गया है, क्योंकि उक्त त्रुटियों को निदेशालय स्तर से बार-बार संबन्धित को दूरभाष/मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक सुधार करवाये जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की नियमित जारी की जाने वाली रिपोर्ट को उच्च स्तर पर प्रेषण करने में अनावश्यक समय विलम्ब होता है।

अतः उक्त सम्बन्ध में लेख है कि आप मूल्य संकलनकर्ता एवं सत्यापनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करे की वह भावों में आ रहे विचलनों का सही कारण पोर्टल पर दर्ज करें। जिससे भावों में समयानुसार आने वाले उच्चावचनों की सही पुष्टि की जा सके। साथ ही पोर्टल में भावों को दर्ज किये जाने पर आने वाली दिक्कतों/परेशानियों को ई-मेल (soprice.des@rajasthan.gov.in & jdcoord.des@rajasthan.gov.in) के माध्यम से अवगत कराते हुऐ यदि कोई सुझाव हो तो उन्हे भी प्रेषित करावें।



(रणवीर सिंह)

सयुक्त निदेशक(मूल्य)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक :- एफ 8(1)7/मूल्य/डीईएस/2016/417

दिनांक :- 4 जुलाई, 2019

मण्डी सचिव,
कृषि उपज/ फल सब्जी
मण्डी समिति - 47 KUMS/FUMS (संलग्नानुसार)

विषय:- पी.एस.आर. पोर्टल पर दर्ज किये जा रहे भावों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि मूल्य सांख्यिकी हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से तैयार करवाये जा रहे विभागीय पोर्टल पी.एस.आर. (Price Statistics in Rajasthan, URL- psr.raj.nic.in) पर आपके द्वारा विभिन्न राज्य के मूल्य थोक मूल्य सूचकांक निर्धारण हेतु चयनित उद्धरणों में से आपको आवंटित मदों के साप्ताहिक आधार पर मूल्यों का संकलन कर नियमित रूप से अपलोडिंग किये जा रहे हैं।

पोर्टल पर दर्ज भावों में विचलन का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु प्रत्येक उद्धरण (मद) की प्रविष्टि के साथ रिमार्क डालने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका उपयोग मूल्य संकलनकर्ता द्वारा दर्ज किये जा रहे भावों में यदि पूर्व में दर्ज भाव से 5 प्रतिशत या इससे अधिक की कमी/वृद्धि हो तो उचित कारण देकर उक्त मद के भावों में आये परिवर्तन की पुष्टि की जाती है। निदेशालय स्तर से उक्त दर्ज भावों की समीक्षा किये जाने पर प्रायः यह पाया गया है कि उक्त रिमार्क कॉलम में भावों में व्याप्त उच्चावचन का उचित कारण नहीं दिया जाकर तर्कहीन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। जिसे उच्चस्तर पर गम्भीरता से लिया गया है, क्योंकि उक्त त्रुटियों को निदेशालय स्तर से बार-बार संबन्धित को दूरभाष/मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक सुधार करवाये जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की नियमित जारी की जाने वाली रिपोर्ट को उच्च स्तर पर प्रेषण करने में अनावश्यक समय विलम्ब होता है।

अतः उक्त सम्बन्ध में लेख है कि आप मूल्य संकलनकर्ता एवं सत्यापनकर्ता को आवश्यक निर्देश प्रदान करे की वह भावों में आ रहे विचलनों का सही कारण पोर्टल पर दर्ज करें। जिससे भावों में समयानुसार आने वाले उच्चावचनों की सही पुष्टि की जा सके। साथ ही पोर्टल में भावों को दर्ज किये जाने पर आने वाली दिक्कतों/परेशानियों को ई-मेल (soprice.des@rajasthan.gov.in & jdcoord.des@rajasthan.gov.in) के माध्यम से अवगत कराते हुये यदि कोई सुझाव हो तो उन्हें भी प्रेषित करावें।

(रणवीर सिंह)
सयुक्त निदेशक(मूल्य)